न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

प्रकरण क्रमांक 3177–दो/2014 निगरानी – विरूद्ध आदेश दिनांक 11–9–2014 पारित द्वारा अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा – प्रकरण क्रमांक 403/2013–14 अपील

मु. राजकली कुशवाह पत्नि स्व. सुन्दरलाल
ग्राम किटहा तहसील विरसिंहपुर जिला सतना ----आवेदक

विरूद्ध

1– श्रीमती सुखललिया पत्नि सुखलाल कुशवाह
2– श्रीमती रामवेटी पत्नि द्वारिकाप्रसाद कुशवाह
दोनों ग्राम डेलोरा तहसील रघुराजनगर जिला सतना
3– श्रीमती सरमनिया पत्नि वाकेविहारी कुशवाह
ग्राम गुलुआ तहसील रघुराजनगर जिला सतना
4– श्रीमती दुआसिया पत्नि कोदूलाल कुशवाह
ग्राम सिंहपुर तहसील नागौद जिला सतना
5– श्रीमती तिजिया पत्नि जगदीशप्रसाद कुशवाह
ग्राम पैकोरी तहसील रघुराजनगर जिला सतना
6– श्रीमती गेल्ही पत्नि गिरजाप्रसाद कुशवाह
ग्राम पोडी तहसील रघुराजनगर जिला सतना
7– श्रीमती रामावतारी पत्नि रामावतार कुशवाह
ग्राम पहुटा तहसील नागौद जिला सतना
(सभी पुत्रियाँ स्व. धरमदास कुशवाह) --अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक श्री डी0एस0चौहान)
(अनावेदक के अभिभाषक श्री के.के.द्विवेदी)

आ दे श

(आज दिनांक 11 – 8 –2017 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा द्वारा प्रकरण क्रमांक 403/2013-2014 अपील में पारित आदेश दिनांक 11-9-2014 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि सहायक अधीक्षक भू अभिलेख ने ग्राम की नामान्तरण पॅजी के सरल क्रमांक 14 पर आदेश दिनांक 17-2-2013 से उभय पक्ष के बीच सामिलाती भूमि का बटवारा किया। इस आदेश से दुखी होकर आवेदक ने अनुविभागीय अधिकारी मझगवां के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी मझगवां ने प्रकरण क्रमांक 99/2012-13 अपील में पारित आदेश दिनांक 15-4-2014 से अपील स्वीकार की तथा सहायक अधीक्षक भू अभिलेख का आदेश दिनांक 17-2-2013 निरस्त करते हुये सर्वे क्रमांक 369, 533 का खाता आवेदक को एंव सर्वे क्रमांक 367, 529/1 का खाता पूर्ववत् सहखातेदारान के नाम विभाजित किया। इस आदेश के विरूद्व अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष अपील प्रस्तुत हुई। अपर आयुक्त रीवा संभाग ने प्रकरण क्रमांक 3177-दो/2014 अपील में पारित आदेश दिनांक 11-9-2014 से अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 15-4-14 निरस्त करते हुये सहायक अधीक्षक भू अभिलेख का आदेश दिनांक 17-2-2013 स्थिर रखा। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ उभय पक्ष के अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत लेखी बहस, निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ लेखी बहस में आये तथ्यों एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि पक्षकारों की मांग पर सहायक अधीक्षक भू अभिलेख ने ग्राम की नामान्तरण पॅजी के सरल क्रमांक 14 पर आदेश दिनांक 17-2-2013 से सामिलाती भूमि का बटवारा किया है और इस बटवारा आदेश को अनुविभागीय अधिकारी मझगवां ने प्रकरण क्रमांक 99/2012-13 अपील में पारित आदेश दिनांक 15-4-2014 से निरस्त किया है तथा स्वस्तर से भूमि सर्वे क्रमांक 369, 533 का खाता आवेदक को एंव सर्वे क्रमांक 367, 529/1 का खाता पूर्ववत् सहखातेदारान के नाम विभाजित किया है। अपर आयुक्त रीवा संभाग ने आदेश दिनांक 11-9-2014 में विवेचना करते हुये अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 15-4-14 निरस्त किया है तथा सहायक अधीक्षक भू अभिलेख के आदेश दिनांक 17-2-2013 को स्थिर रखा है । विचार योग्य है कि क्या ग्राम की नामान्तरण पॅजी पर बटवारा कार्यवाही की जा सकती है ? मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 178 के अंतर्गत विभाजन कराने हेतु प्रथक से आवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य है। संयुक्त धारकों के बीच भूमि का विभाजन नामान्तरण पॅजी पर नहीं किया जा सकता। नामान्तरण पॅजी पर की गई विभाजन कार्यवाही आरंभ से ही दूषित - ऐसी कार्यवाही स्थिर नहीं रखी जा सकती। विचारधीन प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी मझगंवा द्वारा आदेश दिनांक 15-4-14 पारित करते समय इस पर गौर नहीं किया है एंव अपर आयुक्त रीवा संभाग द्वारा आदेश दिनांक 11-9-2014 पारित करते समय भी इस पर ध्यान नहीं दिया है जिसके कारण सहायक अधीक्षक भू अभिलेख द्वारा नामान्तरण पॅजी के सरल क्रमांक 14 पर दिया गया बटवारा आदेश दिनांक 17-2-2013 ,

अनुविभागीय अधिकारी मझगवां द्वारा प्रकरण क्रमांक 99/2012-13 अपील में पारित आदेश दिनांक 15-4-2014 तथा अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा द्वारा प्रकरण क्रमांक 3177-दो/2014 अपील में पारित आदेश दिनांक 11-9-2014 नियमानुसार न होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी आँशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा द्वारा प्रकरण क्रमांक 3177-दो/2014 अपील में पारित आदेश दिनांक 11-9-2014 , अनुविभागीय अधिकारी मझगवां द्वारा प्रकरण क्रमांक 99/2012-13 अपील में पारित आदेश दिनांक 15-4-2014 तथा सहायक अधीक्षक भू अभिलेख द्वारा नामान्तरण पँजी के सरल क्रमांक 14 पर दिया गया बटवारा आदेश दिनांक 17-2-2013 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाते हैं तथा प्रकरण तहसीलदार विरसिंगपुर की ओर इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 178 में दिये बटवारा नियमों के प्रकाश में उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये पुनः बटवारा आदेश पारित करें।

(एस.एस.अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर